तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेमसिंह जोधा बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी)** सू.अ. अपील संख्या 112 / 2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24 / 09 / 2024	अपीलार्थी खेमसिंह जोधा निवासी ग्राम पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.2024 में पटवार मण्डल सरेचा के श्री बाबूराम पुत्र गोपाराम निवासी सरेचा के राजस्व ग्राम सरेचा के खसरा नंबर 91, 92, 94, 182, 183, 800, 801 एवं खेडा सरेचा के खसरा नम्बर 800, 801 की संवत 2078 की गिरदावरी की नियमानुसार प्रमाणित प्रतियां एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) ने जरिये पत्रांक 91 दिनांक 16.08.2024 से बतलाया कि प्रार्थी को पत्रांक आरटीआई / 2024 / 77 दिनांक 13.06.2024 को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। ` (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर ग्रामीण	